[11/3/2025] परिशिष्ट - "सौ"

प्रश्न सं. [क्र. 39]

सोहनलाल बाल्मीक
विधायक
विधान सभा परासिया
क्षेत्र क्रमांक 127
जिला- छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

इंटक ऑफिस, चान्दामेटा
: 9424784666 : 9826636777
ई-मेल : balmiksohan@gmail.com
ऑफिस : balmiksohanoffice@gmail.com

क्र. वि.स. / परासिया / 127 / 2025 / 16 दिनांक 14.01.2025

प्रति,

श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिंदवाड़ा

विषय : सुदूर सड़क निर्माण कार्य में की गई विभिन्न अनियमित्ताओं की जॉच कराये जाने एवं कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत मण्डला से मण्डली तक सुदूर ग्राम सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई थी और मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका था, परन्तु लगभग एक वर्ष से मार्ग का निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है, ग्रामीणजनों की सुविधा हेतु मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पुनः प्रारंभ कराकर पूर्ण कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। उक्त मार्ग का संबंधित ठेकेदार द्वारा अभी तक जितना भी निर्माण कार्य कराया गया है वह पूर्णतः गुणवत्ताहीन है और मार्ग निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार द्वारा विभिन्न अनियमितायें एवं भ्रष्टाचार किया गया है, शासन द्वारा जिन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुदूर ग्राम सड़क मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है उन सभी निर्धारित मापदण्डों का पालन संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है। मार्ग निर्माण में अत्यंत ही निम्न स्तर, घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया है। जिस स्थान पर सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर भी मार्ग का निर्माण करा दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति निर्धारित प्राकलन के आधार पर मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है। मार्ग निर्माण में बहुत सारी अनियमित्तऐं बरतते हुये लाखों रूपये का भ्रष्टाचार कर शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है, मार्ग निर्माण कार्य में की गई विभिन्न अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की जॉच कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। उपरोक्त संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में कई शिकायत पत्र प्रेषित किए जा चुके है, परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य में की गई विभिन्न अनियमिताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच किए जाने हेतु जांच दल गठित कर मेरी उपस्थिति में जांच कराने का कष्ट करेगें।

Addl CEO ZP जॉच करें, Report प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(सोहनलाल बाल्मीक)
विधायक
विधानसभा क्षेत्र परासिया

कार्यालय
जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा
आवक क्र.
शाखा
17 JAN 2025
अधीक्षक
मु.का.अधि.
जिला पंचायत

प्रतिलिपि : श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. परासिया की ओर सूचनार्थ।

एस. जाटव
संयुक्त आयुक्त

319

परिशिष्ट-'ब'

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास),छिन्दवाड़ा

कार्यालय कलेक्ट्रेड परिसर छिन्दवाडा–480001

Contact-. Emaill-ceozpchi@mp.gov.in Phone:07162-244369 Fax :07162-244369

ं0 / 6755 / जिपं / मनरेगा / 2025 छिन्दवाडा, दिनांक 25 / 02 / 2025

प्रति,

01 अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत छिंदवाड़ा।

02 कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, छिंदवाड़ा।

03 परियोजना अधिकारी, मनरेगा
जिला पंचायत छिन्दवाडा।

विषयः– सुदूर सड़क निर्माण कार्य में की गई विभिन्न अनियमित्ताओं की जॉच कराये जाने एवं कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

संदर्भः– माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीक, विधानसभा क्षेत्र परासिया का पत्र क 16 दिनांक 14.01.2025 एवं 321 दिनांक 01.06.2024।

--::--

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय विधायक परासिया के संदर्भित पत्रानुसार सुदूर सड़क निर्माण कार्य में की गई विभिन्न अनियमित्ताओं की जॉच एवं कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में लेख किया गया है। प्राप्त शिकायत की जॉच के संबंध में उपरोक्तानुसार जॉच दल गठित किया जाता है। जॉचदल पत्र में उल्लेखित शिकायत के संबंध में जॉच कर 02 दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अग्रिम कुमार IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,छिन्दवाड़ा

पृ0 क्र0 / 6756 / जिपं / मनरेगा / 2025 छिन्दवाडा, दिनांक 25 / 02 / 2025

प्रतिलिपिः–

01 कलेक्टर महोदय जिला छिन्दवाडा की ओर सादर सूचनार्थ।

02 माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीक, विधानसभा क्षेत्र परासिया की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,छिन्दवाडा

बी. एस. जाटव
संयुक्त आयुक्त

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'ख'

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास), छिन्दवाड़ा

क्रमांक/1356/जि.पं./मनरेगा/वि.स./2024 छिन्दवाड़ा दिनांक 17/06/2024

प्रति,

आयुक्त
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र)

विषय:- विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 143 माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीक के संबंध में।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय का पत्र दिनांक 08.06.2024।

--:0000:--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार प्राप्त विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 143 माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीक द्वारा दिये गये विधान सभा प्रश्न का उत्तर तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
(क)	परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मण्डला से मण्डली तक एवं ग्राम सेमरताल स्कूलढाना से मैन रोड दमुआ ढोलाघाट तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त दोनो सुदूर सड़क के निर्माण कार्य मे संबंधित ठेकेदारो द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य नही किया जा रहा है, घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है मजदूरों की जगह जे0सी0बी0 मशीन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है और भी बहुत सारी अनियमितताऐं बरतते हुये भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिसकी जॉच कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। दोनो ही मार्ग निर्माण कार्यो की उच्च स्तरीय जांच विभाग द्वारा कराकर कब तक कार्यवाही की जायेगी ?	जिले की विधानसभा क्षेत्र परासिया के अंतर्गत निर्माण कराई जा रही सुदूर सड़क निर्माण कार्यो के संबंध मे विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 321 दिनांक 01/06/2024 के संबंध मे महाप्रबंधक म.प्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा से जॉच करायी गई। कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाइ 2 छिन्दवाड़ा के पत्र क्र.1295 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा प्राप्त जॉच के अनुसार सुदूर सड़क ग्राम पंचायत मण्डला से मण्डली लंबाई 2.00 कि.मी है, जिसकी लागत 52.56 लाख है कार्य अभी शुरूआती स्तर पर है जिसमें मिट्टी का कार्य लगभग 1710 मीटर में किया गया है। जिसकी कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड अनुसार है। (टेस्ट रिजल्ट की छायाप्रति संलग्न है) एवं 450 मीटर चैनेज में 1 से पाईप कल्वर्ट 750 चैनेज पर 1 से कल्वर्ट एवं 1500 मीटर पर 1 से पाईप कल्वर्ट का निर्माण किया गया है जिसके कार्य गुणवत्ता की जॉच मनरेगा जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला छिन्दवाड़ा से कराया गया है जिसका भुगतान अभी शेष है। उक्त कार्य में आज दिनांक तक 5.66 लाख में सिर्फ मजदूरी भुगतान हुआ है। सामग्री का भुगतान भी किया जाना वर्तमान में शेष है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि जिस स्थान पर सड़क निर्माण करा दिया गया है उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर भी मार्ग का निर्माण करा दिया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ है। सुदूर सड़क ग्राम पंचायत सेमरताल से स्कूलढाना मैन रोड दमुआ ढोलाघाट तक जिसकी लंबाई 1.70 कि.मी. है जिसकी लागत 68.74 लाख है। उक्त कार्य में 1.40 कि.मी. में मिट्टी का कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। यह कार्य निर्धारित मापदण्डानुसार है। (टेस्ट रिजल्ट की छायाप्रति संलग्न है) उक्त कार्य में 4.06 लाख मजदूरी भुगतान हुआ है। सामग्री का भुगतान किया जाना वर्तमान में शेष है।
(ख)	प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनो ही सुदूर सड़क निर्माण कार्यो में की जा रही विभिन्न अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जॉच कराये जाने के संबंध मे प्रश्नकर्ता द्वारा श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिन्दवाड़ा एवं श्रीमान कार्यपालन यंत्री ग्रा0यां0से0 संभाग क0 2 जिला छिन्दवाड़ा को शिकायत पत्र क0 वि0स0/परासिया/127/2024/321 दि0 01.6.2024 को प्रेषित किए गये है, जिस शिकायत पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? अगर कार्यवाही नही की गई है तो उसका क्या कारण है? कब तक जॉच कराते हुये संबंधित ठेकेदारों पर कार्यवाही की जायेगी ?	कार्यालय जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 1131 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा महाप्रबंधक म.प्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाइ 2 छिन्दवाडा के पत्र क्र.1295 दिनांक 18.06.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार प्रश्नांश क में उल्लेखित दोनो सुदूर सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड अनुसार होना प्रतिवेदित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत छिन्दवाड़ा

बी. एस. जाटव
संयुक्त आयुक्त